राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांक— नर्सिंग/नर्स—1/से.नि—1/2019/

दिनांक—

—:आदेश:—

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत किया जाता है:—

क.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि
1.	मिनी डी फ्रांसिस	नर्सिंग टयूटर	जालोर	03 01.1960	31.01 2020
2.	नन्दलाल पालीवाल	नर्स प्रथम	राजसमद	10 01 1960	31 01 2020
3.	गोपीलाल रेगर	नर्सिंग अधी. 2	भीलवाडा	01 05 1960	30 04 2020
4.	जैसी जेकब	नर्स प्रथम	बाडमेर	21 05 1960	31 05 2020
5.	ग्रेसी कुट्टी पी	नर्स प्रथम	उदयपुर	30 05.1960	31 05.2020
6.	सुमित्रा कुमारी	नर्स प्रथम	जयपुर	07 05 1960	31 05.2020
7.	गजेन्द्र कुमार जयपाल	नर्स प्रथम	जोधपुर	01 07 1960	30 06.2020
8.	हरि सिंह दलावत	नर्स प्रथम	जोधपुर	26 06 1960	30 06 2020
9.	दुर्गा राम सुथार	नर्स प्रथम	जोधपुर	13 07 1960	31 07 2020
10.	गिरधारी लाल शर्मा	नर्स प्रथम	सवाई माधोपुर	04 09 1960	30 09 2020
11.	अनिल कुमार स्वर्णकार	नर्स प्रथम	जयपुर	11 09 1960	30 09.2020
12.	मदनलाल मीणा	नर्स प्रथम	बारां	10 07 1960	31 07.2020
13.	सुरेशचन्द्र शर्मा	नर्स प्रथम	बारा	03 02 1960	29 02 2020
14.	रसीदन	नर्स प्रथम	बारा	01 07 1960	30 06 2020
15.	सरजीत सिंह	नर्स प्रथम	अलवर	10 02 1960	29 02 2020
16.	रमेश चन्द साहू	नर्स प्रथम	अलवर	14 01 1961	31 01 2021
17.	महिलामणी के के.	नर्स प्रथम	जयपुर	30 07 1960	31 07 2020
18.	अब्दुल तव्वाब खान	नर्स प्रथम	जयपुर	01 09.1960	31 08 2020
19.	सुसम्मा के.	नर्स प्रथम	जयपुर	21 04 1960	30.04 2020
20.	माजरी रोज	नर्स प्रथम	अजमेर	01 06 1960	31 05 2020
21.	इन्द्रा कच्छावा	नर्स प्रथम	अजमेर	13 06 1960	30 06 2020
22.	सरस्वती वाधवानी	नर्स प्रथम	अजमेर	15 06 1960	30 06 2020
23.	प्रोमाबाला दास	नर्स प्रथम	अजमेर	19 06 1960	30 06 2020
24.	हैलिना हैरिस	नर्स प्रथम	अजमेर	09 08 1960	31 08.2020
25.	गायत्री राणा	नर्स प्रथम	अजमेर	15 08 1960	31 08 2020
26.	अरनोल्ड विसेन्ट मैसी	नर्स प्रथम	अजमेर	12 09 1960	30 09.2020
27.	अनुराधा शर्मा	नर्स प्रथम	अजमेर	16 11 1960	30.11 2020
28.	विरोनिका रोज	नर्स प्रथम	अजमेर	29 11.1960	30 11.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरूद्ध आज दिनाक तक -

1 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम—16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नही है।

2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम—19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लबित नही है।

3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नही है।

-Sd-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमाक— नर्सिंग/नर्स—1/से.नि—1/2019/616

दिनाक 5-12-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
3. संबधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. संबधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ/समूह।
5. सबंधित मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. सबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।

D:/Nurse-1 Final/ACP MN1 Order

9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।

10. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

11. आदेश / निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर